उत्तर प्रदेश शासन

पशुधन अनुभाग-1

संख्या-10/2017/2950/37-1-2016-02(60)/2001टी0सी0

लखनऊः दिनांक 26 अप्रैल, 2017

कार्यालय-आदेश

कार्यालय आदेश संख्या- 994/37-1-2013-2(60)/2001, दिनांक 25-03-2013, शासनादेश संख्या- 3419/बारह-प-1-2001-2(60)/2001, दिनांक 05-10-2001, शासनादेश संख्या- 1378/37-1-2008-2(60)/2001, दिनांक 06-01-2009, शासनादेश संख्या- 1733/37-1-2006-8(61)/96, दिनांक 18-04-2006, शासनादेश संख्या- 1846/37-1-2012-2(60)/2001टीसी, दिनांक 06-06-2012 द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित स्तम्भ-3 में उल्लिखित तिथि से समयमान वेतनमान स्वीकृत किया गया है। उक्त अधिकारियों को स्वीकृत समयमान वेतनमान को संशोधित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित तिथि से समयमान वेतनमान स्वीकृत किये जाने की एतदद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है-

क्र सं0	अधिकारी का नाम/ ज्येष्ठता क्रमांक	पूर्व में स्वीकृत समयमान वेतनमान की तिथि	संशोधित समयमान वेतनमान दिये जाने की तिथि
1	2	3	4
1	डा0 राजेश कुमार (910)	25-05-1999	10-06-1997
2	डा0 प्रकाश वीर (953)	11-07-1997	12-06-1997
3	डा0 डबल सिंह (541)	19-03-1996	19-03-1995
4	डा0 ओम प्रकाश श्रीवास्तव (1102)	11-07-2005	05-06-2005
5	डा0 रमाकान्त गौतम (1363)	30-07-2006	30-07-2007
6	डा0 मोहन सिंह (1548)	19-05-2005	29-05-2005

2- उक्त आदेश दिनांक 25-03-2013, 05-10-2001, 06-01-2009, 18-04-2006 तथा 06-06-2012 इस सीमा तक संशोधित समझे जायें।

डा0 सुधीर एम0 बोबडे
प्रमुखसचिव

संख्या-10/2017/2950(1)/37-1-2016, तददिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- निदेशक, (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- संयुक्त निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निदेशक (प्रशासन एवं विकास) पशुपालन विभाग।
5- सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा निदेशक (प्रशासन एवं विकास) पशुपालन विभाग।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

जे0पी0 त्रिवेदी
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।